



हरिश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान
Harish-Chandra Research Institute

निविदा सूचना

एच.आर.आई प्रयागराज के परिसर में कुछ वृक्षों को सुरक्षा दृष्टि से हटाने एवं वर्षा, तूफान के दौरान कुछ गिरे पेड़ों की डालियों की लकड़ी की नीलामी हेतु

निविदा संख्या/20/2026

हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान
HARISH-CHANDRA RESEARCH INSTITUTE

छतनाग रोड, झूँसी, प्रयागराज – 211 019
CHHATNAG, ROAD, JHUNSI, PRAYAGRAJ – 211 019

नीलामी निविदा संख्या/20/2026

निदेशक, हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज की ओर से एच.आर.आई प्रयागराज के परिसर में कुछ वृक्षों को सुरक्षा दृष्टि से हटाने एवं वर्षा, तूफान के दौरान गिरे पेड़ों की डालियों की लकड़ी की नीलामी की जानी है। उक्त लकड़ियों का न्यूनतम मूल्यांकन वन विभाग द्वारा निम्नानुसार किया गया है।

वृक्षों को काटने एवं हटाने से सम्बन्धित कार्य हेतु

क0सं0	प्रजाति	व्यास श्रेणी	संख्या	दर	मूल्यांकन
1	गोल्ड मोहर	30-40	1	672.00	672.00
2	सिरस	30-40	2	672.00	1344.00
3	सिरस	50-60	2	1678.66	3357.00
4	सिरस	60-70	1	2524.00	2524.00
5	सेमर	40-50	1	1186.00	1186.00
6	सेमर	60-70	1	2524.33	2524.00
7	कंजी	20-30	2	336.00	672.00
8	कंजी	30-40	3	672.00	2016.00
9	कंजी	60-70	1	2524.00	2524.00
10	केसिया सेमिया	30-40	3	672.00	2016.00
11	केसिया सेमिया	40-50	3	1186.00	3558.00
12	केसिया सेमिया	60-70	3	2524.00	7572.00
13	केसिया	30-40	1	672.00	672.00
14	केसिया	40-50	1	1186.00	1186.00
कुल योग					31,823.00

वृक्षों की गिरी हुई लकड़ियों को हटाने से सम्बन्धित कार्य हेतु

क0सं0	प्रजाति	मात्रा कुन्टल में	दर	मूल्यांकन
1	गोल्डमोहर	40	400.00	16000.00
2	पेल्टो फार्म	25	400.00	10000.00
3	केसिया सेमिया	15	400.00	6000.00
4	नीम	5	575.00	2875.00
5	बरगद	8	400.00	3200.00
कुल योग				38075.00

उक्त पेड़ों की लकड़ियों का न्यूनतम मूल्यांकन रु. 69,898.00 (रुपये : उनहत्तर हजार आठ सौ अठानबे मात्र) निर्धारित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 24.07.2026. तक प्रातः काल 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक लेखानुभाग में नीलामी हेतु निर्धारित धनराशि रु. 1000/- जमा कर बोली में भाग ले सकते हैं। उक्त पेड़ों की लकड़ियों की नीलामी दिनांक 24.07.2026 को अपरान्ह 12.00.बजे संस्थान भवन के सभागार में की जायेगी।

नीलामी की नियम व शर्तें इस प्रकार हैं।

1. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे नीलामी में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
2. सबसे अधिक बोली वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृति की जायेगी किन्तु निदेशक, एच.आर.आई जो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी है, को अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार होगा।
3. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी की कार्यवाही समाप्त होने पर बोली की सम्पूर्ण धनराशि रजिस्ट्रार, एच.आर.आई के पक्ष में एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा उसके पक्ष में नीलामी स्वतः समाप्त समझी जायेगी और नीलामी हेतु निर्धारित धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. उक्त कार्य को करने की निर्धारित अवधि तीन सप्ताह है।
5. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने से पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध न तो कोई आपराधिक मामला पंजीकृत है और न ही किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
6. नीलामी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पेड़ों की लकड़ियों के वजन कराने का इंतजाम स्वयं करना पड़ेगा।

Sd/-
रजिस्ट्रार
एच.आर.आई, प्रयागराज